



कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर-जयपुर)

भुसावर: भरतपुर (राज.)

डॉ. उदय भान सिंह
डीन

मो: 9414714234

Email:- dean.coabhusawer@sknau.ac.in

क्रमांक: कृमविभु / सिविल / 2026 / 912

दिनांक: 31.01.2026

ई-बिड सूचना संख्या 20

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के माननीय कुलपति महोदय की ओर से विश्वविद्यालय के संगठक कृषि महाविद्यालय भुसावर, भरतपुर में अधोलिखित कार्य के लिए उपयुक्त श्रेणी में इस विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार एंव राज्य सरकार के अधिकृत संगठनों तथा केन्द्र सरकार व केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों जो कि राज्य सरकार के उपयुक्त श्रेणी के समकक्ष हो व सम्बन्धित कार्य का अनुभव रखने वाली फर्मों से ई-टेन्डरिंग के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में ऑन लाईन बिड प्राप्त की जायेगी। बिड से सम्बन्धित विवरण वेब साईट sknau.ac.in, sppp.rajasthan.gov.in व <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है।

बिड प्रपत्रों को वेब साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। बिड में भाग लेने वाले संवेदक बिड को इलेक्ट्रोनिक फोरमेंट में वेबसाईट व <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर जमा कराएं।

क्रं सं	कार्य का नाम	अनुमानि त लागत रु. लाखों में	बोली प्रतिभूति	इस वि. वि. में पंजीकृत संवेदकों से बोली प्रतिभूति	बिड शुल्क	प्रोसेसिं ग शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि	यूनिक बिड नम्बर
1	Rate Contract for Land Levelling work at College of Agriculture, Bhusawar.	8.00	16,000	4,000	500	500	2 माह	
		8.00	16,000	4,000	500	500		

1. बिड हेतु प्रपत्र संवेदकों की श्रेणी :—

किसी भी सीमा तक :

श्रेणी संवेदक

रु. 1000 लाख तक :

ए श्रेणी संवेदक

रु. 500 लाख तक :

बी श्रेणी संवेदक

रु. 150 लाख तक :

सी श्रेणी संवेदक

रु. 30 लाख तक :

डी श्रेणी संवेदक

2. बिडदाता द्वारा बोली प्रतिभूति राशी, बिड शुल्क एंव प्रोसेसिंग शुल्क अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, भुसावर के कार्यालय में दिनांक 12.02.2026 प्रातः 11.00 बजे तक जमा करवानी है।

3. प्रोसेसिंग शुल्क के लिये 500 रु का डी.डी. MD, RISL, JAIPUR के नाम देय होगी तथा प्रतिभूति राशी एंव बिड शुल्क डी.डी./बैंकर्स चैक द्वारा अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, भुसावर के नाम से ही जमा की जायेगी।

बिड प्रपत्र हेतु आवेदन डाउनलोड की अवधि दिनांक 31.01.2026 से 12.02.2026 प्रातः 11.00 बजे तक रहेगी।

4. (अ) बिड प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक, फॉरमेंट में वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> में दिनांक 31.01.2026 से 12.02.2026 दोपहर 12.00 बजे तक जमा कराये जा सकते हैं एंव प्राप्त बिड इलेक्ट्रोनिक फॉरमेंट में वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर कार्यालय प्रभारी सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में दिनांक 12.02.2026 को

को दोपहर 12.30 बजे खोली जायेगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन कार्यालय समय में बिड खोली जायेगी।

(ब) बिड की समस्त प्रक्रिया ऑन-लाईन होगी।

(स) बिड खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सारी बिड नहीं खोली जा सकती है तो उसके अगले कार्य दिवस में शेष बिड खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।

5. कार्य के सम्मुख उपरोक्तानुसार वर्णित कार्यालय में संवेदक द्वारा दिनांक 31.01.2026 से दिनांक 12.02.2026 प्रातः 11.00 बजे तक कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस में बिड प्रपत्र को देखा जा सकता है अथवा वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> एवं sknau.ac.in तथा sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता है। बिड प्रपत्रों में बिडकर्ता के लिए योग्यता सूचना तथा बिडकर्ता की पात्रता, प्लान, स्पेसिफिकेशन, ड्राईंग विभिन्न कार्यों की मात्रा एवं दरों का विवरण, नियम, शर्तें एवं अन्य विवरण वर्णित है।
6. यदि संवेदक का नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नि) कार्य से सम्बंधित कार्यालय अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, भुसावर, भरतपुर में अधिकारी/कर्मचारी वर्ग में किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
7. विश्वविद्यालय में किसी भी इंजीनियर अथवा इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी विश्वविद्यालय अनुमति के बिना सेवानिवृति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारी में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने विश्वविद्यालय की उक्त लिखित अनुमति नहीं ली है तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
8. किसी भी बिड को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है। आर.पी.डब्ल्यू ए-100 (आज दिनांक तक संशोधित) की समस्त शर्तें मान्य होगी।
9. कार्य पूर्ण करने की अवधि में मानसून अवधि सम्मिलिति है।
10. संवेदक द्वारा निम्न दस्तावेज बिड के साथ अपलोड करने पर ही उनकी बिड को खोला जायेगा:-
 - (क) फर्म का ठेकेदारी के लिए वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र।
 - (ख) GST पंजीयन प्रमाण पत्र।
 - (ग) बिड में दर्शाये अनुसार बोली प्रतिभूति राशि, बिड शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क की DD या बैंकर्स चैक की छाया प्रतिया।
 - (घ) संलग्न परिशिष्ठ 'क' के अनुसार 50/- रु के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर घोषणा पत्र तथा अन्य घोषणाएं यथा A,B, C.
 - (ड) बोली प्रतिभूति में छूट प्राप्त करने संबंधी वि. वि. मे पंजीयन होने के प्रमाण-पत्र/कार्यालय आदेश की छाया प्रति।
 - (च) गत पांच वर्षों में अनुमानित लागत का 50 प्रतिशत या अधिक राशि का समान प्रकार का एकल कार्य का सफलतापूर्वक पूर्ण करने का संबंधित विभाग/संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
 - (छ) पेन कार्ड की छाया प्रति।
11. संवेदक को बिड खोलने से पूर्व किसी भी मूल दस्तावेज को भौतिक रूप से जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु E.M., BID Fees & Processing Fees (MD-RISL) इत्यादि की D.D. के साथ परिशिष्ठ 'क' (स्टाम्प पेपर पर घोषणा) भी मूल रूप से जमा कराना होगा। बिडदाता द्वारा दी गई दरे तकनीकी बिड खुलने की तिथि से 90 दिनों तक मान्य रहेगी।
12. बिड में सबसे कम दर दाता को क्र.स 11 में दर्शाये गये दस्तावेजों वेरीफाई करने हेतु मूल दस्तावेज मांगे जाने पर प्रस्तुत करने होंगे।
13. ई-टेन्डरिंग के लिए बिडदाताओं हेतु निर्देश :-

DEAN

College of Agriculture
Bhusawar (Weir)-Bharatpur (Raj.)

(अ) इन बिडों में भाग लेने वाले बिडदाता बिड प्रपत्रों का इन्टरनेट साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड कर सकते हैं।

(ब) बिड में भाग लेने वाले बिडदाताओं को इन्टरनेट साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर पंजीकरण करवाना होगा। ऑन लाईन बिड में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक बिड में साइन करने हेतु काम आएगा। बिड दाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन बिडदाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट हैं नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

(स) बिडदाताओं को बिड प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फोर्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव डिजिटल साइन के साथ नहीं होंगे पर उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार्य नहीं होगा।

(द) ऑन लाईन बिड निर्धारित दिनांक एंव समय पर उपरोक्त क्रम संख्या-4 एंवं 5 के अनुसार खोली जायेगी।

(य) इलेक्ट्रॉनिक बिड प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व बिडदाता यह सुनिश्चित कर लेवे की बिड प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी बिड प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दी गयी है।

(र) कोई भी टेंडर इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारण लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।

(ल) बोली प्रतिभूति राशि की वापसी Ist सवूमेज बिडदाता के अलावा अन्य बिडदाताओं को सफल बिडदाता से करार निष्पादन हो जाने के बाद ही लौटायी जावेगी। किसी बिडदाता द्वारा ऑन लाईन बिड प्रक्रिया में भाग नहीं लेने पर बिड शुल्क एंव प्रोसेसिंग शुल्क वापिस नहीं लौटाया जावेगा। कार्य सम्पादन पर देय सभी प्रकार के कर बिडदाता को वहन करना होगा।

14. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण — प्रथम अपील प्राधिकारी माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) एंव द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा विश्वविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी होगे।

1 अपीलः— (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व-अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्टीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप (प्रपत्र-'य') में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व उस बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह

Chaudhary
DEAN
College of Agriculture
Bhusawar (Weir)-Bharatpur (Raj.)

अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप-धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप-धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यक्ति है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उप-धारा (2) उपापन संस्था, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकरों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा-सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वाक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप-धारा (1) और (4) के अधीन प्रात्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया-नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का छास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

15. अपील का प्ररूप –

(1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप (प्रपत्र -'य') में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।


DEAN
College of Agriculture
Bhusawal (Weir)-Bharatpur (Raj.)

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।
(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

अपील फाइल करने के लिए फीस –

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होंगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

अपील के निपटारे की प्रक्रिया –

(1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,—

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समर्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा।

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।

Omney
DEAN
अधिकारी
College of Agriculture
Bhusawar (Weir)-Bharatpur (Raj.)

परिशिष्ठ 'क'

50/- रु. के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करने वाले घोषणा पत्र का प्रारूप

(नोटेरी से तस्दीक होना चाहिए)

मैं (नाम) (पिता का नाम)
 (उम्र) जाति व्यवसाय
 निवासी का हूँ जो कि शपथपूर्वक यह घोषणा करता हूँ कि—
 1. मैं मेरी/हमारी फर्म का एक मात्र मालिक/हिस्से दार हूँ
 तथा मैं यह घोषणा पत्र हस्ताक्षरित करने हेतु अधिकृत हूँ।
 2. मेरी/हमारी फर्म विभाग में
 श्रेणी में स्थायी/अस्थायी रूप से पंजीकृत है तथा यह पंजीयन आज दिनांक तक वैध
 है।
 3. मेरे द्वारा अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, द्वारा जारी बिड सूचना संख्या में
 वर्णित पात्रता सम्बन्धी समस्त शर्तों का अध्ययन कर लिया है तथा मुझे PWF&AR, RTPPA
 2012, RTPPR 2013 के प्रावधान तथा अनुबंध पत्र में उल्लेखित की जाने वाली समस्त शर्तें
 मान्य है एवं मेरी/हमारी फर्म उक्त बिड के कार्य क्रम संख्या में बिड भरने हेतु पात्र
 है।
 4. इन कार्यों को करने हेतु मेरी/हमारी फर्म के पास आवृद्धक समस्त मशीनरी एवं अन्य संशाधन
 उपलब्ध है।
 5. मेरे द्वारा उक्त बिड में प्रस्तुत किए गये समस्त दस्तावेज पूर्णतः वैध है तथा समस्त तथ्य सही
 है। मैंने कोई भी तथ्य छिपाया/घटाया/बढ़ाया नहीं है।
 उपरोक्त शपथ पत्र के क्रम संख्या 1 से 5 में वर्णित तथ्य मेरी निजि जानकारी अनुसार सही है
 जिन्हे मैं सही होना मानता हूँ। ईश्वर मेरी मदद करें।
 फर्म का पूरा पता

पैन नंबर
 मोबाईल नंबर
 ई-मेल आई डी
 बैंक का विवरण
 बैंक का नाम मय शाखा
 खाता संख्या
 IFSC Code -----

(हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता)

दिनांक

स्थान


DEAN
 College of Agriculture
 Bhurawar (Weir)-Bharatpur (Raj.)

बिडदाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सेवाओं/संकर्मों के लिए बिड दी है, उनका/उनके/मैं/हम अधिकृत फर्म हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से जब्त (forfeit) किया जा सकेगा तथा बिड को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

C. L. Mehta
DEAN
College of Agriculture
Bhujawar (W.e.t)-Bharatpur (Raj.)

बिडदाता के हस्ताक्षर

बिडदाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिन मालों/सेवाओं/संकर्मों को जहाँ
कही भी प्रदान की है, वहां विगत 3 वर्षों में सेवाओं से कमी होने के कारण हमें किसी भी
सरकारी विभाग/उपक्रम /कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमें किसी भी न्यायालय द्वारा सामान प्रदायगी में
कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं
किया गया है।

बिडदाता के हस्ताक्षर

(Signature)
DEAN
College of Agriculture
Bhusawar (W.eir)-Bharatpur (Raj.)

Price fall clause प्रमाण पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि मेरे/हमारे द्वारा जो सेवा/मालं सप्लाई/संकर्म किये जायेंगे, उसमे वर्तमान खुली बोली की प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड, अन्य स्वायतशाषी संस्था आदि से समान तरह के संकर्म नहीं किये जायेंगे और यदि कम दरों पर ऐसे संकर्म किये जाते हैं तो दरे स्वतः ही उस तिथि से तदनुसार ही Downward संशोधित मानी जाएगी।

(Signed)
DEAN
 College of Agriculture
 Bhujawar (Weir), Bharatpur (Raj.)

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No.....of.....

Before the..... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official Address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (S):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal:

.....
.....
..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

.....
.....

Place Date

Appellant's Signature

1. First Appellant Authority : Vice Chancellor, SKNAU, Jobner.

2. Second Appellant Authority : Principal Secretary,

Deevey
DEAN
College of Agriculture
Bhusawar (Weir)-Bharatpur (Raj.)

"H" Schedule

Name of work:- Land Levelling work at COA, Bhushawar.

Based on :- Prevelling Market Rate

S.No.	Description	Unit	Rate Rs. Per Hours/per Trip	Amount
1	Supply of J.C.B. for Land Levelling work.	Hrs.		
2	Supply of Tractor with levellor/Trolley for Land Levelling work .	Hrs.		
3	Supply of Tractor Trolley for Loading & Unloading of earth including excavation of earth etc. complete.			
A	up to 500 mtr	No. of Trips		
B	Above 500 mtr up to 800 mtr.	No. of Trips		
Total Amount Rs.				

Condition:-

1. Rates will be including of all taxes, fuel, machinery, driver etc.
2. For item No. 3, the quantity of earth per trip should not be less than 150 Cuft.
3. The levelling work will be done under supervision of Dean, COA, Bhusawar. He will maintain the Logbook of J.C.B. & Tractor/Trolley. For Item No. 3 the Dean will issue the Indent Slip for each trip. Bill shall be paid on the basis of Logbook, Indent Slips varified by the Dean, COA, Bhusawar.



DEAN

College of Agriculture
Bhusawar (Weir)-Bharatpur (Raj.)